न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–57 / 2022

जीसीएमएस नं. :–2022 / 123

कुलदीप सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति मजबी निवासी गांव कमरानिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

--- **प्रार्थी**

बनाम्

1. संतोख सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मजबी निवासी गांव कमरानिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. लखवीर सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति मजबी निवासी गांव कमरानिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरप्रीत सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति मजबी निवासी गांव कमरानिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. बिट्टु पुत्र संतोख सिंह जाति मजबी निवासी गांव कमरानिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

----**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित–

1. श्री हंसराज डाल एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रवीण राठौड़ एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 ता 4 की ओर से

– :: निर्णय :: – दिनांकः–27/03/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके कृषि भूमि चक 6 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–23 पत्थर सं.–257 / 388 का किला नं.–1 ता 8 प्रत्येक सालम, किला नं.–9 / 1 का 0.0380 हैक्टर कुल 2.0620 हेक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता यानि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। चित्र प्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी कें दादा श्री महेन्द्ररिंह पुत्र श्री फुमण सिंह के नाम से चक 6 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ में जमाबंदी सम्वत 2056–2058 के अनुसार 50 बीघा कृषि भूमि थी। प्रार्थी के दादा के देहांत के बाद स्व. श्री महेन्दरसिंह के 6 पुत्र व 3 पुत्रीया कुल 9 जायज वारिस हैं। जिसमें से तीन पुत्रीयों ने अपना अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ दिया तथा इस प्रकार स्व. श्री महेन्द्र [illegible] प्रत्येक पुत्र को 2.0620 है. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई [illegible] कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक स[illegible]यक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहदायिकी के रूप में जन्म से ही हिस्सा है। चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं.–1 की ही नही बल्कि प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप मे अपने–2 हिस्सा के मालिक है तथा प्रार्थी का उक्त पैतृक सम्पतिं मे 1 / 5 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं–1 जो तेज तर्रार व होशियार किस्म का व्यक्ति है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जिसके चलते अप्रार्थी सं.–1 अपनी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र हस्तांतरित करने की फिराक में है। प्रार्थी को उसके हिस्सा से वंचित करने को उतारू है। जिसके संबंध मे प्रार्थी ने कई बार अपने रिश्तेदारो, जाति बिरादरी के व्यक्तियो की पंचायत अप्रार्थी सं.–1 को समझाने का प्रयास किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं.–1 के परिवार के प्रत्येक सहदायिकी हिस्सा है तथा प्राथी का 1/5 हिस्सा बनता है तथा प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अप्राथी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म व रास्ता, खाला आदि सुविधाओं के मध्यनजर बंटवारा करते हुऐ वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी का 1/5 हिस्सा प्रार्थी के नाम करावें लेकिन अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनता है तथा बार बार वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थी को उसका हिस्सा देने बाबत बहानेबाजी कर टाल मटोल करता रहा है। आज से 2 रोज पूर्व पुनः प्रार्थी ने पंचायत कर वादग्रत कृषि भूमि का किस्म, खाला व रास्ता क मध्यनजर वादग्रस्त कषि भ्रमि का बंटवारा करते हुरऐ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा प्रार्थी के नाम से करवाने बाबत कहा तो पंचायत के समक्ष अप्रार्थी सं.–1 ने एक राय होकर प्रार्थी का 1/5 हिस्सा प्रार्थी को देने से स्पष्ट इन्कार करते हुऐ अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी को ऐलानिया कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से है, मुझे उक्त भूमि हस्तांतरित करने से कोई नही रोक सकता है तथा वह शीघ्र ही समस्त वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र हस्तांतरित कर प्रार्थी को उसके 1/5 हिस्सा से वंचित कर देगा तथा प्रार्थी को कोई हिस्सा नही देगा। प्रार्थी से जो होता है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा नही हुआ है तथा बंटवारा से पूर्व प्रत्येक काश्तकार कर भूमि के प्रत्येक हिस्सा पर बराबर का हक होता है। लेकिन अप्रार्थी सं.–1 अवैध तरीके से वादग्रस्त कृषि भूमि बंटवारा से पूर्व, प्रार्थी को उसके 1/5 हिस्सा से वंचित करने के आशय से अन्यत्र हस्तांतरित करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थी अपने अवैध आशय में कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी अपने हितों की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्द अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह मूल वाद के निस्तारण तक कृषि भूमि वाके चक 6 एसजेएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–23 पत्थर सं.–257/388 का किला नं. –1 ता 8 प्रत्येक सालम, किला नं.–9/1 का 0.036 हैक्टर कुल 2.0620 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अन्यत्र रहन, बैय, हस्तांतरित व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अ[illegible] अप्रार्थी सं.–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी स[illegible] अपने पिता महेन्द्रसिहं से विरास्तन प्राप्त नही हुई है अ[illegible] पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है बल्कि सच्चाई यह है कि चक 6 ए[illegible] एम तहसील अनूपगढ का मु.नं.–23 पं.नं.–257/388 का किला नं.–1 ता 8 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि स्व. महेन्द्र[illegible] द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी सं.–1 को दान में देकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक 21.3.2015 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया था तथा उक्त पंजीकृत दान पत्र के आधार पर उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज हुई थी जो दान पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रोज से ही निरन्तर अप्रार्थी सं.–1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है इस प्रकार दान में प्राप्त उक्त प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित भूमि है जो किसी प्रकार से पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति नही है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी का कोई हक अधिकार निहित है। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिरिक्त कथनानुसार यह कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित व खातेदारी सम्पति है प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी सं. –1 के जीवनकाल में मुझ अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति के सम्बधं में खातेदार कृषक घोषित होने की घोषणा चाही है तथा बटंवारा व स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा है जबकि स्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र एक खातेदार कृषक ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नंही है तथा कब्जा के आभाव में प्रार्थी बटंवारा करवाने का कतई विधिक अधिकारी नंहीं है प्रश्नगत मुझ अप्रार्थी सं. –1 की स्वअर्जित खातेदारी सम्पति है मुझ अप्रार्थ सं.–1 के जीवनकाल में उपरोक्त सम्पति पर प्रार्थी के कोई अधिकार सृर्जित नंही होते है प्रार्थी द्वारा दर्ज अभिवचन मुझ अप्रार्थी सं.–1 की मृत्यू उपरांत तो माने जाने योग्य हो सकते थे लेकिन अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी को कोई हक अधिकार अर्जित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि स्व. श्री महेन्द्र सिंह के प्रत्येक पुत्र को 2.062 है. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक सहदायिक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप में जन्म से ही हिस्सा है। अप्रार्थी सं.–1 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थी सं.–1 को अपने पिता महेन्द्रसिहं से विरास्तन प्राप्त नही हुई है स्व. महेन्द्रसिहं द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी सं.–1 को दान में देकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक 21.03.2015 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया था तथा उक्त पंजीकृत दान पत्र के आधार पर उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज हुई थी जो दान पत्र के रोज से ही निरन्तर अप्रार्थी सं.–1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है इस प्रकार दान में प्राप्त उक्त प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित भूमि है जो किसी प्रकार से पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति नही है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी का कोई हक अधिकार निहित है। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिरिक्त कथनानुसार यह कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित व खातेदारी सम्पति है प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी सं. –1 के जीवनकाल में मुझ अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति के सम्बधं में खातेदार कृषक घोषित होने की घोषणा चाही है तथा बटंवारा व स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा है जबकि स्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र एक खातेदार कृषक ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नंही है तथा कब्जा के आभाव में प्रार्थी बटंवारा करवाने का कतई विधिक अधिकारी नंहीं है प्रश्नगत मुझ अप्रार्थी सं. –1 की स्वअर्जित खातेदारी सम्पति है मुझ अप्रार्थ सं.–1 के जीवनकाल में उपरोक्त सम्पति पर प्रार्थी के कोई अधिकार सृर्जित नंही होते है प्रार्थी द्वारा दर्ज अभिवचन मुझ अप्रार्थी सं.–1 की मृत्यू उपरांत तो माने जाने योग्य हो सकते थे लेकिन अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी को कोई हक अधिकार अर्जित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:47 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति:—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:47 IST
Reason: SelfAttested